न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ (चूरू)

ब इजलास - पंकज गढ़वाल R.A.S.

वाद संख्या 185/19 जे.सी.एम.एस. नम्बर 2019/00334

निर्णय दिनांक - 13-10-2020

जयवीरसिंह पुत्र करणीसिंह जाति राजपूत निवासी पाबासी तहसील राजगढ़ जिला चूरू

— वादी

बनाम

1. करणी सिंह पुत्र बालसिंह
2. रमेश सिंह पुत्र करणी सिंह
3. निर्मला पुत्री करणी सिंह

जाति समस्त राजपूत निवासीगण पाबासी तहसील राजगढ़ जिला चूरू

4. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा राजगढ़ जिला चूरू जरिए शाखा प्रबन्धक
5. श्रीमान तहसीलदार महोदय राजगढ़ जिला चूरू

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक 88 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

1. श्री मनोजकुमार सांगवान अधिवक्ता वास्ते वादी
2. " सुरेन्द्रसिंह अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी सं. 1व2
3. एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी सं. 3,4
4. सरकारराज वास्ते प्रतिवादी सं. 5

निर्णय

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी द्वारा यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट इस आशय का पेश किया कि विवादित कृषि भूमि ख० नं० 110 तादादी 3.38 है० ख०नं० 14 तादादी 3.52 है० ख०नं० 26 तादादी 2.78 है० ख० नं० 99 तादादी 4.63 है० कुल तादादी 14.31 हैक्टर

-2-

उपखण्ड अधिकारी

रोही मौजा पाबासी तहसील राजगढ़ जिला चूरू में स्थित है। यह विवादित कृषि भूमि है। वादी द्वारा वाद से सम्बन्धित सहदायिक की वंशावली तैयार कर वादी व प्रतिवादीगण का परिवार हिन्दु विधि की मिताक्षरा पद्धति से शामिल होना वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का भी विवादित कृषि भूमि में नोशनल शेयर बनता है। वादगत कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है तथा वादगत कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के दादा बालसिंह की मृत्यु के बाद प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में जरिए नामान्तरकरण दर्ज हुई है। प्रतिवादी सं. 1 के वादी पुत्र होने व कृषि भूमि दादालाई सम्पति होने से प्रतिवादी स. 2 व 3 व वादी का प्रतिवादी सं. 1 की कृषि भूमि में जन्म से ही हक व अधिकार बनता है। वादी व प्रतिवादी सं. 2 व उपरोक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के साथ बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि में वादी दादालाई सम्पति होने से प्रतिवादी सं. करणीसिंह की कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने लिए यह घोषणात्मक वाद पेश किया जा रहा है आदि-आदि पेशकर व विवादित कृषि भूमि में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण नियमानुसार तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 जरिए अधिवक्ता उपस्थित आये व इकबालदावा पेश किया। प्रतिवादी सं. 3 व 4 बावजूद तामिल हाजिर नहीं आने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रा प्रभावित होने की कोई संभावना नहीं है। वाद पत्र के अभिवचनों का ख खण्डन पेश नहीं हुआ इसलिए विवाद्यक विरचित नहीं किये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2076-79, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2062 से 81, सम्वत 2032-35, नामान्तरकरण संख्या 133 ग्राम पाबासी, नामान्तरकर 31 व 29 से वादगत विवादित कृषि भूमि पुश्तैनी जायदाद होना प्रमाणित है प्रतिवादीगण द्वारा वाद का इकबाल किया गया है व वाद स्वीकार करने आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। वादगत विवादित कृषि भूमि बैंक के रहन है। अतः बैंक हित सुरक्षित रखते हुए वादी का वाद स्वी किया जाना उचित है।

आदेश

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)

अतः वादवादी स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि विवादित कृषि भूमि ख०न० 110 तादादी 3.38 है० ख०न० 14 तादादी 3.52 है० ख०न० 26 तादादी 2.78 है० ख०न० 99 तादादी 4.63 है० कुल तादादी 14.31 है० रोही मौजा पाबासी तहसील राजगढ़ जिला अलवर में प्रतिवादी सं. 1 करणी सिंह की कृषि भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं. 2 व 3 प्रतिवादी सं. 1 के साथ ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं। वादगत विवादित कृषि भूमि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा राजगढ़ के यथावत रहन रहेगी। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू)